

# संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश

"विजयाराजे वात्सल्य भवन" 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल

कमांक/मबावि/मूल्यांकन/12/114

भोपाल, दिनांक 08 05.2012

## आदेश

संचालनालय के अधिकारियों को वर्ष 2012-13 हेतु उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले योजनाओं के निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन के लिए आवंटित किये जाते हैं।

स.क.	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम	पदनाम	निरीक्षण हेतु आवंटित जिले			
			4	5	6	7
1	श्री एच.सी.अग्रवाल	अपर संचालक	छतरपुर	सागर	रायसेन	-
2	श्री पंकज मोहन	वित्त सलाहकार	सतना	रीवा	ग्वालियर	जबलपुर
3	श्री आर.पी.सिंह	संयुक्त संचालक	गुना	अशोकनगर	मुरैना	दतिया
4	श्री अक्षय श्रीवास्तव	संयुक्त संचालक	देवास	धार	शिवपुरी	इंदौर
5	सुश्री ममता पाठक	उप संचालक	श्योपुर	भिण्ड	भोपाल	-
6	श्री महेन्द्र द्विवेदी	उप संचालक	शहडोल	सीधी	अनूपपुर	सिंगरौली
7	श्री आर.पी. रमनवाल	उप संचालक	झाबुआ	बड़वानी	अलीराजपुर	रतलाम
8	श्रीमती शुभा वर्मा	उप संचालक	उज्जैन	शाजापुर	राजगढ़	मंदसौर
9	श्री हरीश खरे	सहायक संचालक	खंडवा	पन्ना	टीकमगढ़	दमोह
10	श्री विशाल मेढ़ा	सहायक संचालक	बुरहानपुर	खरगोन	उमरिया	नीमच
11	श्रीमती एस.के. बरबडे	सहायक संचालक	बैतूल	हरदा	विदिशा	नरसिंहपुर
12	श्रीमती सीमा रघुवंशी	सहायक संचालक	सीहोर	होशंगाबाद	कटनी	डिंडोरी
13	श्री जी.एस.रघुवंशी	सहायक संचालक	छिंदवाड़ा	सिवनी	बालाघाट	मंडला

निरीक्षण हेतु चैकलिस्ट की प्रति संलग्न कर उपलब्ध कराई जा रही है। भारत सरकार के मापदण्ड अनुसार निरीक्षणकर्ता अधिकारी को जिला कार्यालय के निरीक्षण के साथ-साथ प्रतिमाह कम से कम पांच आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं जिला अंतर्गत 20 प्रतिशत परियोजनाओं का प्रतिवर्ष निरीक्षण करना अनिवार्य है। निरीक्षण पर जाने से पूर्व अधिकारीगण संबंधित जिले के पांच आंगनवाड़ी केन्द्रों का डाटा एम.आई.एस. शाखा से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर निरीक्षण उपरांत प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत करेंगे, निरीक्षण प्रतिवेदन में यदि किसी अन्य शाखा से संबंधित बिन्दुओं पर कार्यवाही अपेक्षित होगी, तो निरीक्षणकर्ता अधिकारी अपने स्तर से संबंधित शाखा को अवगत करायेंगे। इस संबंध में जारी आदेश कमांक-1466-67 दिनांक 2.8.2011 को निरस्त माना जावे।

(डी.डी. अग्रवाल)


आयुक्त

एकीकृत बाल विकास सेवा  
भोपाल म.प्र.

पृ०क./मबावि/मूल्यांकन/12/ 715  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक ०४ 05.2012

1. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, संचालनालय महिला सशक्तिकरण, पर्यावास भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त जिला कलेक्टर, जिला-समस्त की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त संयुक्त संचालक, संभाग कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
6. संबंधित अधिकारी श्री/श्रीमती/ सुश्री/.....  
संचालनालय, एकीकृत बाल विकास सेवा, म.प्र. की ओर पालनार्थ।
7. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/ महिला एवं बाल विकास अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
आयुक्त  
एकीकृत बाल विकास सेवा,  
मध्यप्रदेश